राजस्थान सरकार

निदेशालय गोपालन

क्रमांक :– एफ.वी.3( )निगो/गौपंनसु/मु.मं.ब.घो./16/7024 दिनांक :– 29-11-16

कार्यालय आदेश

राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन नियम, 2016 तथा निधि के उपयोग के सम्बन्ध में गोपालन विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश परिपत्र क्रमांक एफ.वी.3( )निगो/ गौपंनसु/मु.मं.ब.घो./16 दिनांक 23.11.2016 के अनुसार राज्य की पंजीकृत गौशाला तथा कांजी हाऊस में दिनांक 01.12.2016 को संधारित गौवंश को सहायता राशि वितरित की जानी है।

उक्त सहायता राशि वितरण के सम्बन्ध में दिनांक 01.12.2016 को राज्य की समस्त गौशाला/कांजी हाऊस तथा उनमें संधारित गौवंश का भौतिक सत्यापन किया जाना है तत्पश्चात गौशालाओं से सहायता राशि के आवेदन जिला स्तर पर प्राप्त कर सहायता राशि स्वीकृति की कार्यवाही की जानी है। इस सम्बन्ध में समस्त जिला कलक्टर तथा जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग को शासन स्तर से निर्देश जारी किये जा चुके है (प्रति संलग्न)।

उक्त समस्त कार्यवाही में गोपालन विभाग की ओर से संभागवार निम्न अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	सम्भाग
1.	डॉ. रमेश चन्द गुप्ता, संयुक्त निदेशक, मूल्य संवर्धन	बीकानेर
2.	डॉ. प्रताप सिंह नागर, संयुक्त निदेशक, प्लान एवं प्रोजेक्ट	अजमेर
3.	डॉ. अशोक कुमार गौतम, संयुक्त निदेशक, गौशाला पंजीयन	जोधपुर
4.	डॉ. रमेश कुमार गुप्ता, उप निदेशक	जयपुर
5.	डॉ. कौशल कुमार वर्मा, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	उदयपुर
6.	डॉ. मनोज कुमार, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	भरतपुर
7.	डॉ. शशि रंजन सर्वा, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	कोटा

उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे :–

(1) सम्बन्धित संभाग में स्थित जिलों के अधिकारियों से सम्पर्क/समन्वय कर विभागीय दिशा–निर्देशों से अवगत कराते हुए पालना सुनिश्चित करावे।

(2) गौशाला को देय आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी गौशाला/पशु चिकित्सा अधिकारी/तहसीलदार/गौशाला प्रबन्धन को विभागीय दिशा–निर्देशों एवं निधि नियम, 2016 के सम्बन्ध में यदि कोई प्रश्न या समस्या हो तो उसका समाधान करे तथा जानकारी उपलब्ध कराये।

(3) आगामी 2 माह (दिसम्बर 2016 एवं जनवरी 2017) में उक्त अधिकारियों द्वारा प्रत्येक जिले की ऐसी गौशाला/कांजी हाऊस जिनमें 1000 या उससे अधिक गौवंश संधारित है तथा जिन जिलों में 1000 या अधिक गौवंश वाली गौशालाएं नहीं है उनमें 500 से अधिक गौवंश वाली गौशालाओं का आवश्यक रूप से विजिट किया जाकर गौवंश का सत्यापन, गौवंश के स्वास्थ्य एवं पालन–पोषण एवं रख–रखाव की स्थिति को भी देखा जाये।

निदेशक 28/11/16

क्रमांक :– एफ.वी.3(   )निगो / गौपंनसु / मु.मं.ब.घो. / 16 / 7025-7107 दिनांक :– 29-11-16

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन एवं गोपालन विभाग।
2. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
4. समस्त अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
5. अतिरिक्त निदेशक, गोपालन एवं प्रभारी अधिकारी, (निधि सहायता वर्ष 2016–17) को देकर लेख है कि उक्त अधिकारियों को आवश्यक सूचना / जानकारी उपलब्ध कराते हुए यात्रा कार्यक्रम बनवाकर तदनुसार वाहन की व्यवस्था करावे।
6. समस्त जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
7. सम्बन्धित अधिकारी, डॉ. ....
8. रक्षित पत्रावली।

28/11/16
निदेशक